No.FCA/ H.P. Forest Department.

Dated D/Shala, the/ @ 4/11/28.

Contingency) जमा करा दी गई है। इस योजना में भविष्य

में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त

जो भी प्रावधान शामिल किए जाएंगे प्रयोक्ता अभिकरण को

From:

D.F.O. Dharamshala.

स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा

अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की

जाएगी। प्रतिपुरक वनीकरण 10 वर्षों तक

To: C.C.F. (T) Dharamshala.

Subject:-

Diversion of 0.30 ha. of forest land in favour of I & PH Department for the construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, within the jurisdiction of Forest Division, Distt. Kangra, H.P. (Online Proposal

FP/HP/Other/51314/2020). - Compliance Report thereof.

Memo:

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office, Shimla letter No. FC/HPB/09/42/2021 dated 06/07/2022 on the subject cited above where in the "Stage I Approval" for diversion of 0.30 ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the User Agency has submitted the Compliance Report of conditions of Stage I Approval and amount of NPV and CA stands deposited in respective heads. The point wise reply of conditions of 'in-Principal' approval are as under:-

क्रमां	सैद्धांतिक स्वीकृति कि शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति / उत्तर
क	सञ्जातक स्वाकृति कि रात	प्रयाक्ता जामकरण द्वारा स्वाकृति / उत्तर
संख्या		
तखा		
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत
		की गई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं
		किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत
		वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत
	प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन	की गई है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि
	भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी
		जाए । इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन
		बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरणः	(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा
	(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग	प्रस्तावित वन भूमि के प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 600 पौधों
	द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 600 पौधों का	का पोधारोपन Compartment No. UP-93K Fogal C-2,
	पोधारोपन Compartment No. UP-93K Fogal	Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division,
	C-2, Lapiana Forest Range, Dharamshala	Distt. Kangra, Himachal Pradesh में किया जाएगा ।
	Forest Division, Distt. Kangra, Himachal	प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यक धनराशी Rs. 1,68,676/-
	Pradesh में किया जाएगा एवं दस वर्षों तक	& Rs. 8,434/- (5% Contingency) CAMPA कोष में
	रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA rates	जमा करा दी गई है। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय
	for 600 पौधों के पोधारोपन हेतु (वर्तमान दरों को	स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल
	समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी	प्लांटेशन से बचा जाएगा।
3	प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की	ACT STATE OF THE S
	एकल प्लांटेशन से बचा जाए ।	
	ख) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि	International Control of the Control
	आवश्यक हो, तो प्रतिपुरक वनीकरण योजना के	प्रयोक्ता अभिकरण दवारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के
	अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपुरक	अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की
	वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और	लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन एवं 10 वर्षों के
	क्वांपन की लागत एरियोजना पारिकाण दारा	अनुरक्षण की लागत Rs. 1,68,676/- & Rs. 8,434/- (5%

		ि च्योगम् अभिक्तमा स
	अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निधीरित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	मान्य होंगे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08,2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1 /1998-एफ.सी. (Pt.2). दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.30 हैo वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण दवारा इस प्रस्ताव के तहत 0.30 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 3,01,563 /- Parivesh online portal के माधयम से जमा करवा दी गयी है।
	(ख). विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख). प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यिद कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, जमा की जाएगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
5.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 मे वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत् भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय. नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal will all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal as soon as it is available on the portal. At present the proposal is not available / displaying on e-Green portal.
7.	The State Government shall rectify the Geographical area of Kangra District in Part-II, Para-14 before Stage-II (final) Approval.	The Geographical area of the Kangra District in Part II is correct and no action is required.
8.	The State Government shall obtain Consent to Establish (CTE) from State Pollution Control Board before undertaking any step to establish the Project and same is required to be	The copy of NOC / Consent to Establish (CTE) from the H.P. State Pollution Control Board is enclosed herewith.

	submitted in this office before Stage-II (final) Approval.			
9.	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहाँ भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहाँ भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर क्षेत्र में greenery को maintain किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।		
10.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एफ औरए प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि एफ आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा । इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ		
11.	प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन शून्य होगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि में कोई भी पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।		
12.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई नुकसान नहीं पहुचाया।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।		
13.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic- in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे	प्रयोक्ता अभिकरण दवारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 3,01,563/ Compensatory Afforestation Rs. 1,68,676/-, Contingency @ 5% on CA Rs. 8,434/- Total=(3,01,563 + 1,68,676 + 8,434) = 4,78,673/- online portal के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।		
14.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।		
15.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा । इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।		
16.	वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा । इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।		
17.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया		

	The state of the s	The adolestill of the
		जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
18.	प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में पंपन बद्धता प्रस् की गई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार,प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित किए जाएंगे । इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
19.	परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
20.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तत
21.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
22.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय - समय पर जो भी निर्धारित शर्ते लागू होंगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका पालन किया जायेगा । इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
23.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तत
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमित प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा ली जाएगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
f	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के देशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC देनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।

अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल के माध्यम से (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी । इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।

It is therefore, requested that the necessary Final Approval for the diversion of 0.30 ha of forest land for the construction of above mentioned project may kindly be obtained from the Govt. of India under Forest (Conservation) Act, 1980 and conveyed to this office.

Encl: As above

Divisional Førest Officer, Dharamshala Forest Division, Dharamshala. HP Jal Shakti Vibhag

Ref. No. EF/JSDD/JAIA-I/FCA/2023 - 19977 Dated 31/10/2023

To,

Divisional Forest Officer, Dharamshala Forest Division, Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

अनुरक्षित एवं सेंधारित किया जाएगा। इस योजना प्रस्तुत है।

में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित

Subject:-

Diversion of 0.30 ha. of forest land in favour of I & PH Department for the construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Other/51314/2020). – Compliance Report thereof.

Sir,

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office, Shimla letter No. FC/HPB/09/42/2021 dated 06/07/2022 on the subject cited above where in the "Stage I Approval" for diversion of 0.30 ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the amount of NPV & CA has been deposited and reply of conditions of 'in-Principal' approval is as under:-

क्रमां क संख्या	सैद्धांतिक स्वीकृति कि शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति / उत्तर			
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचन बद्धता प्रस्तुत करती है कि व भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नही किया जाएगा। इ आषय में वचनबद्धता प्रस्तुत है।			
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचन बद्धता प्रस्तृत करती है कि			
3.	प्रतिपूरक वनीकरणः (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 600 पौधों का	(क) प्रस्तावित वन भूमि के प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 600 पौधों का पोधारोपन Compartment No. UP-93K Fogal			
25	पोधारोपन Compartment No. UP-93K Fogal C-2, Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh में किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA rates for 600 पौधों के पोधारोपन हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।	C-2, Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh में किया जाएगा । प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यक धनराशी Rs. 1,68,676/- & Rs. 8,434/- (5% Contingency) CAMPA कोष में जमा करा दी गई है। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाएगा।			
	ख) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की लागत Rs. 1,68,676/- & Rs. 8,434/- (5% Contingency) जमा करा दी गई है । इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त जो भी प्रावधान शामिल किए जाएगे प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगे। इस आषय में वचनबद्धता			

	लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	-	
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्यः- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08,2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1 /1998-एफ.सी. (Pt.2). दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol 1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.30 हैo वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	राशि रूपए 3,01,563 /- Parivesh online portal वे माधयम से जमा करवा दी गयी है। (ख). प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है की	
	(ख). विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख). प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, जमा की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।	
5.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत् भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय. नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।	
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal will all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal as soon as it is available on the portal. At present the proposal is not available / displaying on e-Green portal.	
7.	The State Government shall rectify the Geographical area of Kangra District in Part-II, Para-14 before Stage-II (final) Approval.	The Geographical area of the Kangra District in Part II is correct and no action is required.	
8.	The State Government shall obtain Consent to Establish (CTE) from State Pollution Control Board before undertaking any step to establish the Project and same is required to be submitted in this office before Stage-II (final) Approval.	The copy of Consent to Establish (CTE) is enclosed herewith.	

9.	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहाँ भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहाँ भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वक्षों को वन विभाग की टेस्ट रेस्ट		
10.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एफआरए प्रमाण पन हर		
11.	प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन शून्य होगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि में कोई भी पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।		
12.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।		
13.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic- in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे	प्रयोक्ता अभिकरण दवारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 3,01,563/ Compensatory Afforestation Rs. 1,68,676/-, Contingency @ 5% on CA Rs. 8,434/- Total=(3,01,563 + 1,68,676 + 8,434) = 4,78,673/- online portal के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।		
14.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।		
15.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा । इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है ।		
16.	वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा । इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है ।		
17.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि. मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।		
18.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार,प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित किए जाएंगे। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।		

19.	प्रिकेट्स कर्ण के विकास के विश्वीत कर					
13.	परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न				
		है।				
20.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।				
21.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगी। इस आशय की				
22.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय - समय पर जो भी निर्धारित शर्तें लागू होंगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका पालन किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र				
23.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा।	के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना निर्माण से उत्सजित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्य कहीं मलवा नहीं फेका जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।				
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा ली जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।				
25.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।				
26.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल के माध्यम से (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी । इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है ।				

This is for your kind information and further action.

DA/- As above

Your Faithfully,

3/19/23

Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 1

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.3 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

I, hereby Undertake that the legal status of the forest land diverted for above mentioned Project will not be changed.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-223 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 2</u>

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

I, hereby Undertake that the possession of forest land diverted will only be taken after the Non Forest Land is transferred in the favour of I & PH Department, Himachal Pradesh.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officers

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 3 (A)

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that Compensatory Afforestation for 600 plants will be done in Compartment No. UP-93K Fogal C-2, Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division, District Kangra, Himachal Pradesh. The Cost of Plantation Rs. 1,77,110/- including 5% Contingency on CA and Maintenance for 10 years has been deposited in the CAMPA Account.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dharareshella Sorest Division
Dharareshella

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 3 (B)</u>

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the additional cost of Compensatory Afforestation as demanded by the Forest Department at the time of undertaking the plantation activities in the future will be deposited in the CAMPA Account.

Place: Dharamshala Dated: عمد ١٥٠ عمد Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer

Dha Divisional Forest Division

Dharman Balahala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 4 (A)

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

li is hereby submitted that Cost of NPV Rs. 3,01,563/- has been deposited in the CAMPA Account through online e-Chalan.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-223 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Eorest Officer
Dharinishalaision
Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 4 (B)

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

li is hereby submitted that the cost of Additional amount of NPV, if so determined as per decision of the Hon'ble Supreme Court of India will be deposited in the CAMPA Account.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-222 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala
Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 5

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

li is hereby submitted that the diversion of forest land will be acceptable only after the permission of the Hon'ble Supreme Court of India.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-223 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Officer
Divisional Forest Officer
Division
Division
Division

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 8

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the Consent to Establish (CTE) from the H.P. State Pollution Control Board has been obtained and same is enclosed herewith.

Place: Dharamshala Dated: 31- וסרט Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala



H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

"Him Parivesh Bhawan", Regional Office Dharamshala Near GSSS, Dari, Tehsil Dharamshala, Distt.-Kangra (H.P.), PIN 176057 Phone No. 01892-222628

Website: http://hppcb.nic.in

e-mail: pebrojassur@gmail.com

No: - PCB/Non Polluting (118) /RO (D/sala)/22-

6030-31

Dated: 63-02-2012

To

The Distt. Revenue Officer, Kangra at Dharamshala,

Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

Sub: -

NOC for diversion of 0.3 Ha. of Forest Land in favour of J.S.V Department for the construction of Septage Treatment Plant in Sakoh(Mohal Panjlehar) at Khasra No. 1175, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, District Kangra H.P..

Sir,

With reference to the letter no. 15908, dated 28/01/2022 received on date 28/01/2022 from the Executive Engineer, Jal Shakti Sub Division, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. along with the revenue record vide which they have applied to get the land as tabulated below:

Sr. No.	Mohal	Khasra No.	Measuring Area as per submitted Revenue record	Ownership
1.	Mohal Naddi, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.	1175	00-30-00 Hect.	Govt. of, Himachal Pradesh

As per the above tabulated record provided the land is to be transferred in favour of Jal Shakti Vibhag, Govt. of H.P. for the construction of Septage Treatment Plant.. The State Pollution Control Board has no objection if the said land is transferred in favour of Jal Shakti Vibhag, Govt. of H.P. subject to the following conditions:

- (viii) Prior consent of the State Board shall be obtained before undertaking any steps to establish the project under Water Act, 1974 and/or Air Act, 1981, as the case may be.
- Transfer of land shall be governed only by the regulations and provisions prescribed by Revenue Department and (ix) this NOC alone shall not entitle the applicant to purchase/acquire land.
- (x) NOC so issued shall not confer any right on the applicant to establish the project unless the Revenue Department has actually allowed the acquisition of land.
- (xi) This NOC is subject to prior forest clearance, if any required.
- The proponent shall maintain noise level equal to or less than the standard prescribed under Env. Protection (xii) Rules, 2016 for sensitive areas near its boundary walls.
- The project shall provide proper scientific system for the disposal of domestic effluent, kitchen waste water and (xiii) Municipal Solid Waste.
- (xiv) During the plot leveling if any muck is generated, the same should be stored/stacked/back filled scientifically alongwith the provision of toe walls, as required.

Yours faithfully.

Dr. R.K. Nadda

Sr. Environmental Engineer, HPSPCB

Copy to:

The Executive Engineer, Jal Shakti Sub Division, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. with reference to your office letter no: 15909, dated 28/01/2022 for information please.

Dr. R.K. Nadda

Sr. Environmental Engineer, HPSPCB

8

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 9

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that trees of local species will be planted in the vacant areas in and along the proposed area to maintain the green cover at the cost of User Agency under the supervision of Forest Department.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-2023

Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 10

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the FRA Certificate in prescribed format with all annexures and copy of records of consultation and meetings of FRC and Gram Sabha of concerned village is enclosed herewith. It is further undertaken that we will abide by the conditions of the FRA, 2006 as per Certificate issued by the District Collector.

Place: Dharamshala Dated: 31 - וס-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dhalvisional Forest Division
Dharamshall

Form-II

(for projects other than linear projects)
Office of the District Collector, Kangra at Dharmshala.

No. 9155 /DRA Dated: 13 Oct 2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of other than linear projects, it is certified that 00-30-00 hectares in Mohal Naddi of forest land proposed to be diverted in favour Jal Shakti Vibhag, for construction of Sewage Treatment Plant, Naddi in Tehsil Dharamshala of Kangra District falls within jurisdiction of Gram Sabha Bhatalla, in Tehsil Dharamshala, Distt Kangra (Dharamshala Forest Division).

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 00-30-00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha and Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexures.
- (b) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before the concerned Gram Sabha.
- (c) The Gram Sabha Bhatalla have certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Bhatalla is enclosed as annexure.
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha/ Municipal Corporation present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt, as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have been their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA (Not applicable).

District Collector
Kangra at Dharamshala.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT KANGRA (H.P.)

<u>Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights)Act (FRA), 2006.</u>

A meeting of the District Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Nipun Jindal, I.A.S, Deputy Commissioner, Kangra on 06-10-2023 at 3.30 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Gram Sabha Bhatalla claiming rights in 00-30-00 Hectares forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Dharamshala, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted:-

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right
	100	No claim filed b	oy anyone
Claims of	following applicants were	not found in order a	nd hence rejected :- (Not applicable)
S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right
		OR	
	informed by SDO (Civil) claiming rights in 00-30-00		olication was received from Gram Sabha a.

Place: Dharamshala

No : 4/56 /DRA Dated : /3 Oct 2023

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Forest Rights Committee

^{*}Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Office of the Sub-Divisional Officer (C) Dharamshala District Kangra H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub-Division Level Committee Constituted under schedule tribes & others traditional forest dwellers (Recognition of Right) Act (FRA) 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Dharamshala Sub- Division, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shilpi Beakta (HAS), SDO (civil) Dharamshala on 21.03.2023 at 11.00 AM at Dharamshala in which the application of Assistant Engineer, J.S.V.(Sew) Sob-Division, Dharamshala, Distt. Kangra claiming rights in Dharamshala forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the forest right committee Bhatalla, Tehsil Dharamshala was discussed to consider the same for recommendation of the District level committee.

After scrutiny of the document and detailed discussion, the following decisions, were taken on an application:-

Since no application, claim and objection have been received from Forest Right Committee Bhatalla, Tehsil Dharamshala from individuals or organization etc. Hence there was no application pending from any decision or recommendation till date before the Sub-Division Level Committee.

After considering the resolution dated 17-01-2023 passed by Forest Right Committee, Gram sabha and the resolution No.05 dated 6-01-2023 passed by Gram Panchayat Bhatalla, Tehsil Dharamshala the Sub-Divisional committee hereby recommend that the land measuring 0-30-00Hect. situated at Mohal Naddi Tehsil Dharamshala Distt Kangra HP should be transferred in favour of Jal Shakti Vibhag for construction of Sewage Treatment Plantl at Naddi within jurisdiction of Dharamshala forest Division Distt. Kangra. Further it is certified that no settlement claim is pending before the Sub-Division Level Committee under ST & other Traditional Forest Dwellers Act/ Rule 2006.

Place: Dharamshala Date: 21.03.2023.

SDO-(Ciril)-cum-Chairman, Sub-Division Level Committee

Dharamshala

कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) धर्मशाला जिला कांगडा (हि.प्र.)

महाल नड्डी मौजा घरोह तहसील धर्मशाला में Sewage Treatment Plant के निर्माण हेत् प्रस्तावित वन भूमि रक्वा 0-30-00 है0मी0 को हस्तांतारित किये जाने से सम्बन्धित मामलो मे प्रस्तावित वन भूमि की Diversion जल शक्ति विभाग के नाम करवाये जाने के सन्दर्भ मे दिनांक 24.07.2023 को उपमण्डलाधिकारी(ना0) धर्मशाला,जिला कांगडा की अध्यक्षता में अनुस्चित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारो की मान्यता) नियम, 2006 के अन्तर्गत आयोजित हुई उपखण्ड स्तर की सीमित की बैठक की कार्यवाही

महाल नड्डी मौजा घरोह तहसील धर्मशाला में Sewage Treatment Plant के निर्माण हेतू प्रस्तावित वन भूमि रक्वा 0-30-00 है0मी0 को हस्तांतारित किये जाने से सम्बन्धित मामलों में प्रस्तावित वन भूमि की Diversion जल शक्ति विभाग के नाम करवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 24.07.2023 को उपमण्डलाधिकारी(ना0) धर्मशाला,जिला कांगडा की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य पंरपरागत वन निवासी(वनअधिकारो की मान्यता) नियम, 2006 के अन्तर्गत आयोजित हुई उपखण्ड स्तर की सीमित की बैठक की उपमण्डलाधिकारी(ना0) धर्मशाला के कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नळिखित सदस्यों ने भाग लिया -

क्रमांक	नाम	पदनाम	
1	श्री गिरिराज	तहसीलदार धर्मशाला	
2	श्री सुमित शर्मा	वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मशाला	
3	श्री संदीप गुलेरिया	सहायक अभियन्ता	
4	श्रीमति मंजू देवी	वी0डी0सी मैम्बर(संदस्य वन अधिकार कमेटी)	
5	श्रीमति इन्द्वाला	वी0डी0सी मैम्बर(सदस्य वन अधिकार कमेटी)	
6	श्री सुनील भाटिया	जेई0(IPH)	

महाल नड्डी मौजा घरोह तहसील धर्मशाला में Sewage Treatment Plant at Naddi का निर्माण:-

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा उसके उपरान्त निम्नलिखित मदो पर चर्चा की गई:-

क्रमांक	महाल का नाम	खाता नम्बर	खतौनी नम्बर	नकल जमाँबन्दी के अनुसार खाना मल्कीयत का व्यौरा	नकल जमाँबन्दी के अनुसार खाना काश्त का व्यौरा	खसरा नम्बर	रक्वा मय किस्म भूमि
1	नड्डी	95 मिन	343 मिन	सरकार हिमाचल प्रदेश	कब्जा वन विभाग बर्तन बर्तनदारान	1175/1	0-30-00 जंगल मेहफूजा गैर मेहदूदा

उपरोक्त वर्णित भूमि के बारे में संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट साथ संलगन है धर्मशाला सिहत वन अधिकारी सीमित द्वारा प्रस्ताव पारित करके अनुमोदन किया गया है। इस मामले पर गहन चर्चा की गई तथा नड्डी मौजा कजलोट तहसील धर्मशाला Sewage Treatment Plant at Naddi के निर्माण हेतू प्रस्तावित वन भूमि रक्वा 0-30-00 है0मी0 को हस्तांतारित किये जाने के सन्दर्भ में कोई आपत्ति बैठक में प्रस्तुत नहीं की गई तथा यह मामला सही पाया गया है। अतः धर्मशाला वन अधिकार सिमिति द्वारा किये गये अनुमोदन के आधार पर उपरोक्त मामले को अनुमोदित किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री गिरिराज	तहसीलदार धर्मशाला	27
2	श्री सुमित शर्मा	वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मशाला	James
3	श्री संदीप गुलेरिया	सहायक अभियन्ता	tug
4	श्रीमति मंजू देवी	वी0डी0सी मैम्बर(सदस्य वन अधिकार कमेटी)	माल देवी
5	श्रीमति इन्द्वाला	वी0डी0सी मैम्बर(सदस्य वन अधिकार कमेटी)	Insu Ball
6	श्री सुनील भाटिया	जेई0(IPH)	- Brand

(धर्मेश रामोत्रा,(हि0प्र0से0)) उपमण्डलाधिकारी(नागरिक) उपमण्डल धर्मशाला। आज दिनाँक 24.07.2023 समय 11.00 बजे पूर्वान्ह को कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला में जनजाति एवं अन्य दूसरे वन अधिकारों पर प्रभाव न पड़ने वारे संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उपमण्डलीय स्तर कमेटी (ग्रामीण) की बैठक श्री धर्मेश रामोत्रा उपमण्डलाधिकारी (ना0) धर्मशाला की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रमाक	नाम	पद	सम्पर्क न.	हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	/ 5.
01	Er Sandrep Quein	Assistant Engineer	9466460485	to-
02	Sumit Sharma	Range Fores officer Mehdy	7508590953	Sunt
03	Gui Ray	Tensidas Dharamshala	7018175880	e>
04	Mangi Devi'	B.D.C 31E0TO11	9816102852	Mond Den
05	Insu Bala	B-D-C	9419824369	Joseph Bala
06:	RISHAV SHARMA	Assistan		
6	SUNIL BYPTIN	O.E. J.S.V.	98162	~~
r - = = 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
		3		

उप-मण्डल अधिकारी (ना.) धर्मशाला।

	Annexure-V
अनुसृचित् जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) उ	16161111 2000
पाप सामा क्रिया हो।	141-14-1 ,2006
पाप रामा <i>प्रस्ताता</i> जिला कार्याडी (हिन	
(Bos)	10)
प्रतिलिपि प्रस्ताव	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	for .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nia 17/1/27
पणपूति 204 / 352	गांक 17/1/23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	संख्या
	(1041
dun 70/ Cuova	7
तेपा उत्तर इन्वर्रा रात्रमवद क्रम्बर्य न्यान विभाग / संस्था को इ. र. व	AT HADDI
के निर्माण हेत् S.T.D. OT MODO)	
ागता/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित	टेयर वन भगि के
म्पूर्व के लिए राहमात प्रदास करन हतू।	
गाम रागा मित्रा व	D (7/.)
प्राप सभा प्राप्त दला की बैठक 3 की गई जिसमे उर्ग ८५७०७ की बैठक 3 की गई जिसमे उर्ग ८५७००० जन्म १०००० की निर्माण हेत.	ाण विनोक ।
के विश्राम के	97 ~000
0.9000 हैंग्टेगर सन भगि के आयोग की भंजी के कि	क्षेत्र में पुरसाहित
(0.30 महारा) से के अन्यान की नेपूर्व के लिए सहमति प्रदान करने	पर चला की गर्न । 14
(10) HHEHE 200 ->	
मंभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों के बाद रार्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ता के जिल्ला	परी तरह समदाने
े बाद रार्च सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन	भूमि दिए जाने पर
गाम रागा की इस बैठक में अनुस्रकित जन्मीर और अन	
ग्राम रागा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (न्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के कावों के निपटैंग्रे पर भी घर्चा की गई त ह पारित किया गया गया कि अपरोवत अधिनियम के अध्यात वन अधिकारों के नाम के अध्यात	(वन अधिकारों की
हैं पारित किया गया कि कार्योग उन्हों के विश्व की गई त	ाथा सर्व सम्मति हो
ह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपट किया पूरी की जा रही हैं / कर ती गई है तथा प्रस्तावित <u>0.30</u> हैक्टेयर वन भूमि	परे सम्बन्धित सारी
िर्माण के कार्य स्वाप्त	動 S:TP
गति दी जाती है।	की •
	100
1 macell (+135) (8)	
अधीकृत हस्ताक्षरकता	1
पशाला, ।जा	
// /	
हस्ताक्षर 🚧	
दिनांक	
27	
10/11	
Scanned with	Came
Scanned with	camScanner

Annexure-1

म विकास जानकास आर अन्य प्रमुखात व	वन अधिकार अधिक की मान्यता) अधिनियम ,2006
	411416
	गाम रामा 7000
	प्रतिशिपे प्रस्ताच्
प्रस्ताव साख्या	दिनांक 👍 / 1/23
5	
वन अधिकार समिति ग्राम समा अस्टिटला	की बैटक भाग दियांक 172 /1/23
को 10:30 A'र्युग खान MA	की बैठक आज दिनांक 17/1/23 00) में भी/भीमति उग्रास्त उकारा
्की अध्यक्षता में की गई जिसमें	प्राप्त के अनुसूचित जनजाति की गान्यता) अधिनियम् २००६ के अन्तिर्गत को गान्यता) अधिनियम् २००६ के अन्तिर्गत को प्राप्तिकार्थि द्वारी के लिए दावे हेतू प्राप्त वो प्राच्या की गुर्दा का अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार)	की भागाता अधिकाम २००६ के अन्तिर्मान
जंगल / यस भेग में /किस	10 OFT 2/110 19 21/21 6/73 1/C/
निर्माण के लिए की हतरेगर यह भूमि के ता	with the state of
हुए गांव वारियों के वन अधिकारों के आहेट	भे प चर्चा की गई। यन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दरतावेजों के अध्ययन तथा जन पर विकास क	में व यथा का गई। वन आधकारा के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
्यत दाया नियमानुसार सही पाया गया :-	र्म वे उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
्राज्य स्थाना स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त	
' रहतरराठ 💮 * पात्र गांव वासी का नाम	
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	जंगल का नाम वन अधिकार का ग्योरा
	NIL .
े तदानुसार यह धन अधिकार अधिक हम इस्ते /	इन दायों को पारित करने हेतू ग्राम संभा से इसकी
सिफारिश करती है।	इन दीवा का पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी
4	
ं उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा निक	प्रावस्थाय कारी करी प्राप्त के
क्ष्या का नाम	गाउँकर वहा नहा पामा गया –
1	
· 2 NIL	
तदानुसार ग्राम रामा इस दावे 🗵	इन दावों को निरस्त करने की निमानिश
. करती है।	इन दाया को निरस्त करने की सिफारिश
	था
जंगान (भग क्षेत्र से कोई भी का	MCCOUNT TO BOOK WAS A PART OF THE PART OF
जंगल / यग क्षेत्र मे कोई भी यग उ	भावपंतर का दावा प्राप्त नहीं हुआ।
रियाक 17/1/23	
िनाक 12/1/23	अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
17 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X	गाम सभा

गामवासी/गाम कासीयों के नाम जिन्होंनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए

* पूर्णिवट / कार्य का नाग जिसके लिए वन (संस्थण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन मूणि के प्राथण की अनुमति दी जानी है



हस्ताक्षर दिनांक Scanned with CamScanner



Annexure-II

भनुस्तित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राग रामा ग्रे*ट्रिट्सी* प्रतिलिपि प्रस्ताव

The second second			
परताव संर	541	1.0	दिनां क
		2	
		S N	
गाप रागा	क्यान - उट्टी	वैदक् आज दिनांक्/ 🗸 🖊	23 南 10:30 円
	P W. J. Q. Q. L	MI MING 4/1 47 49 9	र/≪। का अध्यक्षता ∕ा
का पड़ जि	तराम	्गांव के अनुस्रित	र समस्यानि और अन्य प्रतापनामा
गन । नवास	(वन आधकारा का मान्यता) आधानम	 2006 के अन्तर्गत 	ਯਾਂਧ ਰ / ਰ ੂ
्धेन में (जि	रागे विभाग हारा 5. उ	P. AT HADOL & A	र्माण के लिए 0 707 है यहेगर हैं-
े भूग वः उप	ग्योग की मंजूरी प्रश्तावित है) वन अधिक	गरों के लिए दावे हेत इस गाम	सभा की यन अधिकार जाकित की
· mintel	क अवसन्त प्राप्त हुए गाव वासिया क	आयदना पर चर्चा की गर। य	न अधिकारों के परकारों के राज
अस्तुत दस	वानिजा के अध्ययन तथा उस पर विस्तर	व चर्चा के उपरान्त इस ग्राम र	मभा द्वारा निग्न तिखित पात्रों क
. Gidi 14di	गनुसार सहा पाया गया :-	1	
क ० स	* पात्र गाम वासी का नाम	जंगल को नाम	वन अधिकार कर्
. 1		1	
2.	~	116	
वदानुसार	यह प्राम रामा इस दावे / इन दावों को	पारित करते हुएं इसे उप खण्ड	स्तर की समिति को प्रेपित करके
257.105 3.15 3	NOTICE OF SELECTION OF SELECTIO		
Marian	में से निम्न तिखित पात्रों का दावा नियमा	नुसार सही नहीं पाया गया:-	
Tons	1.00		
. <u>⊕0410</u>	* पात्र ग्राम वासी का	The state of the s	
1	HIL		
े तदानुसार	ग्राम समा इस दावे/ इन दावों को नि	रत करती है।	
3/8	The state of the s	्या	The second second
ं इस गाम	राभा की यन अधिकार समिति से प्राप्त र	्वना के अनुसार	जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी इक
अधिकार :	का दावा प्राप्त नहीं हुआ .		
	3.000		
रथान			: ।
16-114	17/1/22	गाग सभा	Table 1
- 514	गसी / ग्राम वासीयों के नाग जिल्हो वेदन किया है।	ों इस वन क्षेत्र/जेंगल में	वन अधिकान हे का २ ०-
211	वेदन किया है।		जारावार के दोव के 1-
44			
7 0/0	कट कार्य का नाम जिल्ला निता व तोग की अनुमति दी जानी हैं।	יים (אונינים) או	
4 445	मेंग की अनुगति ही जानी	, (पादान्त) आधानयम् .	1980 के अन्तर्गत वन भूति ह
:	. (2)		
	0 82		
	(E)	;	
	100		

Scanned with CamScanner

he ent

	(नियमं 10 और 34 देखें) ग्राम पंचायत <u>ी जिल्ला</u> विकास खण्ड र किसीला जिल्ला कर्			
		विकास खण्ड <i>?त</i>)	<i>ीर्गाल</i> ! जिला . !	11116
तिथि, मार और वर्ष	200.00.0040.00	निष्पादित का	र्थ का विवरण	Signature of the Panches Present
10	100 114	31/31/0/10/10		गंभी के उरगण
fod!	n 4911 251	311/2 1/5015 6/0/)	2025 41 01/12/ 42	ha metho While
	111 111/11/11/11/11/11	1111/1/1/1/1	(1
	गारिकां या उपाई	VAI 20 8 et 18	34/24/ 17040	160 11110
ļ	माजा में भार्ड	oid :-	1 101 41-1 773	d whoken L
3.	مر آب	15A1/5/2 24-1	7 915 7	85-14
4	willa Frank.	> हलाद गुगार	09	Clas -
2	व्यमीत थापा	इक्ट्रेश थापा	05	Ty
3	WINE OF THEY	ista-T way	07	Selv !
H.	31140 PIOIT	जनार्वक रिनेह	09	Ca-
S.	स्रोहित दुगार	प्रहलाष उम्ह.	ad	Str.
16-	वहत उगर	क्रीरुवा बेमर	09	Variation .
17	ह जय	-चंतर निष्ट.	09	* [0.7.
	भाया की	अनेकी रूप	07	मंत्रादेवी
1	मिन्री देनी	र्गेन .	01	New 1 80
10-	Rif	देश यात्र जीती देता	09	Ruf
1		व्योभे दत्।	09	Hada
	कुमि व्यवस्	21211 212	62	TE
	निवास चान्य	क्रम इत्य	0.2	Pds 2117
10.	सर्गतान	By Pie	08	Sign 1 /2
	कालना देश	Family Ol	/03 ,,	
	146-1	Secretary	nchayat Bhatalla nchayat Bhatalla ock Dharamshala ock Dharamshala ock Dharamshala ock Dharamshala ock Dharamshala ock Dharamshala	
AMMAND STY.	MART, JAL # 2456688	Dev. Bl	angra Hall अन्य सदस्यों	के हस्ताक्षर
		Dist		

(नियम 10 और 34 देखें) विकास खण्ड *दि.स.चे. श.च्य* जिला *फॅरशस्स* ग्राम पंचायत ... of the cont Signature of the तिथि, मास उपस्थित सदस्यों निष्पादित कार्य का विवरण Panches Present और वर्ष का नाम पंचो के हस्ताक्ष S\$ 0 SOAKY. Rekha रेटा देवी कामिश दिलासक 17 02-Molencle 7118-GE अमी राम् 18 01 2000 स्रवा कुमार 19. चोदमं सम 01 भनो डा 06 शिक्स राम Jul 2009 उक्षांने कुगार 3021/2 21. प्रशीतम् चन्तु 22 0 भागे नाम भद्भ त्याल 33 Tila निलक राज चड्डं राम BSNL NU SHAR 25 29.71 अर्जन सिंह 3-11-01/21 02 भेता राम 96 ्याभ स्थाभ 06 रात-दर ब्लिह 27. 06 lane 28. 9-01-1 03 V1411 Andre 29 03 कियाता राम Ve 30. 000 31_ अगर सिंह 82 30. 03 (E4) 0 3 34. 日日かる 37 24 2149 678.21

ANAND STY. MART, JAL # 2456688

	6 -	(नियमं 10 और 34 देखें	į)	
1000000	यत भूतिलली	विकास खण्ड्रिक्ष	्रिस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रिस्ट्रेस्ट्र	bility?
तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित क	र्थं का विवरण	Signature of the Panches Present
36.	खुटार तका	िहारी लाल	09	पंचों के हस्त्राक्षर
37.	सुरुगि जाप	Kar chi al Alah	0 9	11 ger
38	2011 de	A (2)	ud	\$121-140
	0.000	हस्कीप सिंह आपा	05	Lection
110	3701	विभाग तिह गुरा	05	30,0,20
41	प्रभीला बाधा	विभिन्न पार राज	05	Parifarjona
42	, जिये कियान	रक श्री वा राम	03	flue!
43	Some Day	100	03	Cont.
44		म निक्स सिंह	vz.	Charle
45	Find	अदन त्याल	20	Sumit
46	게 < 4 그.) *	N.11/0) \$717	02	GRUPAY
10-1	सुरेहर"	- गनर सिंह	62	Swiender
48	उँ जिति मिन्स देवी	U: रिस्के राम	01	iget
49 3	J31 49	विजयं अर्थार् पाञ्च साम	0,3	1
20 -	भाग थापा		0.6	Tar-
5) (ा चित्र जंग भाषा	05	Means
		कारिन्दर सिंह आप	05	1012/cm/2012
53	अधि भाषा	किर्त गाबागण क	5 4	, ", "
54	145211	ं याम कुभार		Ridma
SS	भेडू गणा		84	
S6 }	Pri my -	जीता अव	04	May
S7 =	मास्त्रि देती	ोदान क्रेजिंग आपा	04.	Rita Ruga
		23 stare	03	
59	अन्जू	A310261 E	3 10	
	भाग देती	निकादर (Secretary anchayat Br	shallyu
là	7 20 21	जीन जिल्हान	Secretary Secretary Grain Fanchayat Bh O Z Dev. Block Dharan Distr Kangra (HP)	grun ,
6)	विष्याच्या देवी	रनीत बाजा	O-Z Devi Block Ohara O-Z Devi Kangra (HP)	घलाना

्राम पंचायत कितास खण्ड क्रिसाल्स् जिला क्रिसाल्स्				
तिथि, मास	उपस्थित सदस्यों			Signature of the Panches Present
और वर्ष	का नाम	T		पंची के हस्तास्त
6 ¢,	×101 -1-9	रावन राज	09	2मेश
63.	<i>-र्ना</i> ड्य	रंब भव सम	03	Colot
64.	न्याना भागी	उनारन) भवा	05	, Sharea
65.	नगभगा देवी	fa-itig	03	denna
64.	अरत सिंह	स्तः भी ज्वीनु राम		- Tom
67.	उलमें देवी	रतः अपि राम	05	जुल र
68	<u> উ</u> পূর্ব	रत भेष राम	0.5	1246m
69	विविधाः शामा	जा. रिलेंग जापा	05	Sunta
70.	स्रीना यापा	We डिमड छि-स्न	0.2	y day?
71,	पुतली देवी	ण. गंद लाल	05	3-17/2
72.	उलान चर्	य श्रील राम	06	
73,	निनेद कुमार	इ/ । देनिका राम	06	ma
74,	प्रदीष गुस्य	क्ष स्रेम नहापुर	05.	Brown
75.	ठांकर्	उट ए अंग्रेस लिंह गुंब	05.	Du 2
76.	वर्णित भाषा	प्र कुलमान सिंह	65.	(a)
77.	िकेद्रं भाषा	प्र देन तहारू	05.	
718.	3121026	८१ किच याम	69	Voly on
79.	जेलन सिंह	5/0 काल राम	07 1	Banks
80	महाजन	भ्रा चेनी लात	of Str	SVal Break
81	Jour Fris six		Kil & Besser Block	Dual Bright
<u>S2</u>	STY. MART, JAL # 2456688	कार शहरात्री राज	प्रधान तथा अन्य	

the

817

र

(नियम 10 और 34 देखें) विकास खण्ड ६८५५/०८/ जिला ८ Signature of the तिथि, मास उपस्थित सदस्यों निष्पादित कार्य का विवरण Panches Present और वर्ष का नाम पंचो के हस्ताक्षर 83. ोचड याम 01 <u>स्</u>रानलं 84. 314 CETH रोजन्तर दुगार 85. 86. THIN 87 05 पिटू 88 06 किंद्रम्ला शांव पा 80 06 3/10/04 90. 60 71 09 राड इम्स 92. णाः यनुरेल केवश 93. 94. 273114 95. 4 2119 of taulor 091211 96 BA Jyol Traps 4/0 310mm - 346 78. Rachna 99. भाः रत्रकात 80 101 **श्रे**शीराज 02 09 J. of 5/18 Cal 4/4 103 ्रिक्ष भ्रेषान तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर ANAND STY, MART, JAL # 2456688 angre (HP)

-		
1	A	34 देखें)
1 1-1211	TO STITE	24 777
1	IN OHIE	34 6 (9)
		7-1

गाम पंजा	यत ी नित द्वार	(नियम 10 और 34 देखें)		
fafor and		/ विकास खण्डटि/क्रेक्सांज्यु जिला	HINH	ग्रम
तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of the	सिर्ग्स
204	स्नुनीता देवी		Panches Present पंची के हस्तास्स	5
	7	W. 1-168911 01	२भुगा ग/हे	15
105	पुगर्ज देली	w/- Berly -4-4 01	24 में डोबें	.:
(06	न्हें की	1/0 DIOTY OU O 01	12 (2) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a	:3
601	विविभा देती	भ. राज्यीन जी	(अ.अ. हर्ल	133
82	रिमर्श देती	% शिक्स केंग 01		Ι,
	कुल दीप	र अभाग त्याल 66	Kulsuf	* 5
	माहिल 🕠	St. 30/9" 02	Sarul 1	1 3-
	भूगाना देवी	णील रमेया उपमर ठन	खनीवा है।	723
	रेखां देवी	No GIMP PARE 03	Reicha	32
13.	जीविष्ठ्	9. जीम देश 03	Johns	135.
14. 7 15. 5	विन्मा सम् विन्य १ १	रित नामबू	MR!	34
٠٠ حر	मिला देती गुन्म		ond 1	* 77
1	0	वि के के विशेष	1000	
30 A	भिर्म भाषा अभन	1/0 (3) =12 210/ 05	Nornay	M.3 P.
9 /	tra Rac	Is why self sigh as	1-	The state of
1,000	tally o	6 40x the 09	bry	No.
	रेळी ने मार इ	(, रोग्ना लिल वर	Hos	*
2 11	1.3	o dieti ol		10
5 /K	2 10 1	The state of the s	ifan I	195
	रकात ।	A Staller at a series of the s	the	-4
5. 4		Dear Margins GIP!	\$1000 C	
D STY. MAR	T, JAL # 2456688	10 -3/11 Ald 03 000 1	3471	

प्रधान तथा अन्य मदस्यों के हस्ताक्षा

		(नियम 10 और 34 देखें)	50.00 E	119
ग्राम पंचार	ла	विकास खण्ड <i>. ९२५५५</i>	लि/ जिलाःर्न्स	2/5/
तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य	का विवरण	Signature of the Panches Present पंचो के हस्ताक्षर
126	यानीत : प्रथान	St. CHRENES YELL	65	Kiny
(3.4	द्रीमाज श्रेन भ	% सेन देशर गुन्म	05	100
128	निलाप न्य-५	६ जगरत	ರವ	Theory M
129	रन्भद्व	S. 7931	03	
D.0	वावावा	कत्यनी लाल	19	Bobil
[3]	जोगिद्र पुत्रार	यः आत्रम राम	બ	M3+47749
132	सुनीत कुमार्	१८ सम्बद्ध स्नामहीरा	02 -	
13\$	लंडी	रे उन्स्रीम निन्द	02	B
134	रिकी	१० ५ प्रशेतिम च-9	od	Purni
135.	अनम् कुमार	५. ब्रिज ताल	62	Any
136.	द्यानीप	इद किया रास्प	69	Toldery!
137.	योजन्दर्	६० १ स्वह्ना मन	94	Riginales 1
138.	चंत्रमार् -न-५	्राचीन हमन	04	Superla
+39.	नीकोर्ज स्मार्टिन	S/0 218 CH	03	Kiploni led
140	न्यांन्स् देश	% देश याज	02	29 12-6. 68
(4)	माहेक पिह	4 29 mg	02	mules
:02	21-51	जीन भर्	03.	2137 399
143	લારત્	Ph अंत्रदेव	03	C(12) (0)
104	नाग	ш रम डाग्र राव	07	diFirm
145	0 1	we tell-11 of D		10/5/10
146	णुनाता देश	DIO SALVIOLETINE AND	CA .	Deflet

ANAND STY. MART, JAL # 2456688

प्रधान तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्ष

कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK

(नियम 10 और 34 देखें) ग्राम पंचायत ... भिन्तालल। तिथि, मास उपस्थित सदस्यों Signature of the निष्पादित कार्य का विवरण Panches Present और वर्ष का नाम पंचो के हस्ताक्षर 147 ओम प्रकाश to the second 03 अंजात कुमार 48 1000-1-01-07 002 211910 49 Actorbh 02 17/0 (1 150 00 Section देती 151 03 30/10 152 15 In Joan 153 05 Kishipa. ऱ्यां न न 154. 155. 4511 भाषा CFS इट्टा 156. 157. 9/0 x 31 (50) 3119 01 ARUN Slanta 138 16 U 801 Onther 159 -वुनी 71-6 08 dalty ोतेश्न दहस् 160 05 सक्त বিক্রন the most of the 161 03 मेहेल कुमार 162 निर्ण १ ५ ५ मात्र राम 00 श्रू अमार 163. ्र डिक्शाओं 4/0 317 78198 MUS ns' विड्या देवा 164 165 Gram Panchayat Bhatalla Dev. Block Dharamshala Dist. Kangra (HP)

ANAND STY. MART, JAL # 2456688

कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

~		(नियम 10 और 34 देखें)	1.00
ग्राम पंचार	un Dfolonon/	विकास खण्ड्	.: ा	-+75 2
तिथि, मास	उपस्थित सदस्यों	निष्पादित का	र्य का विवरण	Signature of the Panches Present
और वर्ष	का नाम	0		पंचो के हस्ताक्षर
167	्रभंको सम	्र असी राम	0.5	Shartel
168	हेम पत	अठ लगह राम	0-	र्नेग प्र
169	3115/10 3944	अ. जोनीत्र	0	July
170	粉谷	प्रस्त जाग्वील	0-1	किंरी
171	उनम् क्रार	5/00/1901	00	35/14
17.0	अद्भ त्याल	भ० कोर-गन्त	0 1	· Car
173	radi c	ण, सुरें। उगर	07	MM 9
174	प्रजामे देता	णुः हेरा सर्व	61	[25]
175	राग तसात	भे० - अस्टबाल -	os'	Rangood
176	स्त्रम देता	Mo रता केम सिंह_	03	eci da
1	-र्गाताव्य निर्माष्ट	% जरेष्ट	03	नामिप्र
1-18	ने हित	रिंग हेंग राज	05	Rohit
179	युम्पूर्य देती	% -वोब्रस श्र	06	क्रम्बर्ग्य
120	राष्ट्रश संगर २ ३।	पर होन ह्याल	64	Rokeb
181	() () () () () () () () () () () () () (W10 1970-1 21-9	08	324
183	भीकी राम	त्र विगरं श्रम	07	Homis of
103	अंतिल'	१० होरेलाल	08	ANIL
184	रात -	% रमेश कुमर	06	Pari
/ v S	पीजी रीम	8% X 3	66	4157 517
186	राकेट्ट कुमार	दः विस्तिवा सम	04	419-8376
197	रमणई .	\$, अभिनम्	07	Segon
ANAND STY	. MART, JAL # 2456688		प्रधान तथा अञ	Harving and Br

ANAND STY. MART, JAL # 2456688

प्रधान तथा अन्य सदस्यों के ब्राह्म स्थान स्थान के ब्राह्म स्थान स्थान के ब्राह्म स्थान के ब्राह्म स्थान के ब्राह्म स्थान के ब्राह्म स्थान स्थान स्थान स्थान के ब्राह्म स्थान स्

कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

गम पंचाय	त भूनिकला/	(नियम 10 और 34 देखें) विकास खण्डर्शिक	<i>१.गॅ.ल/</i> जिला	ร์กับเร]	
तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निप्पादित कार्य		Signature Panches F पंचो के ह	
188	अनिल कुभर	न् काल जुमार	05	Fris.	
189	नरेश कुगार	१० व्यान नाम	05	Nork	
190	स्नतपाल	१० होरा वाल	03	Sats	
191	नम्मल देवी	Sto 214 x= xad	00	4,	
192	कम्ल)	८०० रनरन वास्न	03	Kun	
193	99 -1-9	54 होडी राम	09	201	
94	अंजय कुंगार	40 FR RHE	03	As	
195	अधिक सिंह	अक होरे लाएन	63	Mid	
96	হার	5/2 20-2 5/14	08	122	
197		त्र जगत याम	03	311	
198	l t	इ नि तीनी वाम	02	1	
199		ं इह होया त्यात	03	16	
200	एकेन्दर उम		06	2970	
101	रात नुमार	al जीअस्य ।	05	= Po	
रैक्ट्र	रंयत भेगार	४० असी सम	85	Ray	
203	अमित दुशर	५० उन्तरमा राभ	0.7	An	
20 Y	वाहल उग्पर	क देश यात्र	. १ मु	Rah	
TTO 16	08.837	असीम राजा की 3		Di d	
	401 VS0 1250	अहमदा मिल्प भी क	गर्माम पर क्रिड		
0	भारता है	1+6.9 - 1-	- 9 · y ,		
	Sector Panchayat Bhataila Sector Panchayat Bhataila Dev. Block Dharamshala Dev. Kangra (HP)				
		Dev	Block (HP)		

ANAND STY MART, JAL # 2456688

प्रधान तथा अन्य सदस्यों के ह

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 11

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that no felling of trees will be done during the execution of Scheme.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-202-3 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Officer
Divisional Forest Division
Dibatanshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 12

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that no damage / harm will be done to the vegetation and animals in the proposed area.

Place: Dharamshala Dated: 31 – 10-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer

Dharamshala Forest Officer

Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 13

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that all the payments to be deposited under NPV and CA etc. (Rs. 1,68,676/- Cost of CA, Rs. 3,01,563/- Cost of NPV and Rs. 8,434/- Contingency 5% on CA, Total Rs. 4,78,673/-) have been deposited through E-Portal (https://parivesh-nic-in) in Ad-hoc CAMPA Fund on 01.11.2022.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-2023

Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer DI Divinishal Forest Division DK affar As Raivasion

haramshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 14

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that approval will be taken as per Provisions of Environment (Protection) Act, 1986, if applicable.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dharamshalahala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 15

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Layout Plan will not be changed without prior Approval / Permission of the Central Government.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer Divisional Forest Officer Forest Division Bharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 16

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that no labour camps will be established / installed on the forest land.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dhatainisibalal Forest Officer
Dhatainisibalal Forest Officer
Dhatainisibalal Forest Officer

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 17

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that fuelwood from Forest Corporation or any other legal source, especially Alternate fuel will be provided to the labour.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-1023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Officer
Division
Dipramshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 18

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that RCC Pillars will be installed at the boundary of diverted forest land under the supervision of Forest Department with Forward / Backward bearing at the cost of User Agency itself.

Place: Dharamshala Dated: 21-10-22 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dhalinishad Forest Officer
Dhalinishad Forest Officer
Dhalinishad Forest Officer

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 19

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that no alternate road will be constructed for carriage of material in the forest land during the execution of the proposal.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer

Dharamshala Forest Division

Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 20</u>

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the Forest Land will be used only for the purpose specified in the proposal and no other activities will be undertaken in the diverted forest land.

Place: Dharamshala Dated: 31-10-22-3 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officeror
Dharamshalai Epifest Division
Forest Division
Dharamshalaia

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 21</u>

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the diverted forest land will not be transferred to any other Agency / Department or Person without prior Approval of Central Government.

Place: Dharamshala Dated: کام - ۱۵ - کام Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Dibisional Forest Officer
Diaram thataires Officer
Diaram thataires Officer
Diaram thataire

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 22</u>

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that we will abide by all the conditions imposed by Ministry of Environment, Forest & Climate Change from time to time for the protection and development of Forest and Wildlife.

Place: Dharamshala Dated: 21–10-23 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dhairing a Forest Officer
Dhairing a Forest Officer
Dhairing a Forest Officer

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 23</u>

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that muck will be disposed-off within the diverted land and no muck will roll down the hillside or disposed alongside the proposed area.

Place: Dharamshala Dated: 31 - to-223 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Division
Divisional Forest Officer
Division Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 24

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that if any other provisions of related Act / Article / Rule / Court Order / Instruction are applicable to this proposal, the necessary NOC / Permission will be taken by the User Agency.

Place: Dharamshala Dated: 3) - 10-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer Divisional Forest Officer Dharamshala Forest Division Dharamshalanala

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 25

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that we will abide by all the conditions imposed in the "In-Principle Approval" accorded for the construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Place: Dharamshala Dated: 31-10-2023 Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dherman All Forest Officer
Dherman All Forest Officer
Dherman All Forest Officer

FILE NO.

: FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 26</u>

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Compliance report will be uploaded online on (http://parivesh.nic/in/).

Place: Dharamshala
Dated: 31-10-2023

Executive Engineer Jal Shakti Vibhag, Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer
Dha Wishala Forest Division
Dha Offish Division
Dharamshala